राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –1916/2008/जोधपुर

सहायक आयुक्त,
वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स,
वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मेघराज गहलोत,
राम मौहल्ला, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री अभिषेक अजमेरा,
अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 27/06/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.06.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके माध्यम से उन्होंने सहायक आयुक्त, वर्क्स एण्ड लिजिंग टैक्स, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे **"निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 29 के तहत वर्ष 2004–05 हेतु पारित आदेश दिनांक 02.03.2007 के अन्तर्गत आरोपित कर रूपये 9,624/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक संविदाकर है तथा आलौच्य अवधि में कार्य संविदा के निष्पादन हेतु राजस्थान राज्य के बाहर से घोषणा प्रपत्र–सी फार्म के समर्थन पर क्रय किये गये माल को राज्य के भीरत संविदा में प्रयुक्त किया है जिस पर सशक्त अधिकारी द्वारा कर आरोपित किया गया है। निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने कर रूपये 9,624/– को अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की, जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बतलाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त भिन्न तथ्य दोनों हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते है अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया। अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राजस्थान राज्य के बाहर से घोषणा प्रपत्र "सी" फार्म के समर्थन पर कार्य संविदा के निष्पादन हेतु माल क्रय किया गया था तथा अधिनियम की धारा 2(38) के स्पष्टीकरण–II(ए) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्ड. बनाम स्टेट ऑफ राज. निर्णय दिनांक 16.02.2001 25 TW Vol XXV पेज 241 द्वारा अवैधानिक घोषित करार दिया गया है तथा इसी क्रम में माननीय कर बोर्ड के निर्णय (2002) टैक्स वर्ल्ड वोल्यूम 27 पेज 81 मैसर्स ब्रेथवाज कम्पनी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2003) 16 एसटीसी पेज 206 मैसर्स डिलाईट इंजीनियंरिंग बनाम सहायक आयुक्त तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय (2001) 9 एसटीटी पेज 163 मैसर्स ब्लैक स्टोन रबर इण्ड. प्रा.लि. बनाम स्टेट ऑफ राज. व अन्य में भी आशय का मत प्रतिपादित किया गया है। अतः इस संबंध में आरोपित कर अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा सही रूप से अपास्त किया गया है एवं उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पेश किये गये उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस संबंध में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने राजय स्थित प्राप्त संदर्भ संविदा को निष्पादित करने के लिये उसने राज्य के बाहर से "सी" प्रपत्रों के समर्थन पर 2,40,600/– रूपये का सी.आई.पाइप क्रय करके संकर्म संविदा में प्रयुक्त किया है, जिस पर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 2(38)(ii) के तहत राज्य के भीतर विक्रय मानकर करारोपण किया है। इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के **मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय (25 टैक्स वर्ल्ड 241)** से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्यों के सन्दर्भ में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों की विवेचना करना उचित होगा। मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 कम्पनी ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया पेज–I न्यू देहली द्वारा मैसर्स श्रीगंगानगर शुगर मिल्स के लिये एक Cane Mud Filter एवं एक Cane Juice Clarifier के निर्माण आदि कार्यों बाबत संकर्म संविदा के निष्पादन हेतु राज्य के बाहर से विभिन्न स्थानों से माल की दस्तावेज हस्तान्तरण द्वारा अन्तर्राज्जीय खरीद की गई। इस प्रकरण में मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा माल के राज्य के भीतर पुनर्विक्रय के उद्देश्य से न तो कोई खरीद की गई और न ही इस हेतु स्वयं द्वारा 'सी' फॉर्म का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 दिल्ली के प्रकरण में संविदाकार व्यवहारी की राज्य के भीतर कोई खरीद/बिक्री नहीं होते हुए भी उसकी राज्य के बाहर स्थित पंजीकृत

लगातार.....3

कार्यालय की ओर से अवार्डर व्यवहारी (मैसर्स श्रीगंगानगर शुगर मिल्स लि0) को किये गये अन्तर्राज्जीय विक्रय को अधिनियम की धारा 2(38) के स्पष्टीकरण II(ए) के आधार पर संकर्म संविदा में राज्य के भीतर माल की सम्पत्ति का अन्तरण होने के कारण संविदाकार व्यवहारी की डीम्ड खरीद/विक्रय माना जाकर करारोपण किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में व्यवहारी द्वारा संकर्म संविदा के निष्पादन हेतु अन्तर्राज्जीय खरीद के माल के राज्य के भीतर उपयोग में लिये गये माल की सम्पत्ति के अन्तरण को डीम्ड खरीद मानते हुए करारोपण सम्बन्धी अधिनियम की धारा 2(38) के स्पष्टीकरण II(ए) के प्रावधानों को संवैधानिक घोषित किया गया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के **मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 में पारित निर्णय दिनांक 16.2.2001** में माननीय न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार विनिश्चय किया गया है :–

> "In view of aforesaid, we have no hesitation in coming to the conclusion that the impugned provisions of Rajasthan Sales Tax Act, 1994 in so far as they have widened the scope of levy of tax notwithstanding that the agreement for works contract has been wholly or in part entered into outside the State of that the goods have been wholly or in part moved outside the State are ultra vires the Constitution.
>
> Accordingly, the petitions are allowed as aforesaid. The impugned assessment orders for the assessment year 1997-98 and provisional assessment order for the year 1998-99 are quashed and set aside and the Assessing Officer is directed to decide the question of levy of tax *de novo* without taking into consideration the provisions of Explanation (2) of section 2(38) of the Act of 1994."

वर्तमान प्रकरण में संविदाकार प्रत्यर्थी व्यवहारी राज्य में पंजीकृत है तथा अवार्डर राज्य में स्थित है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण के संविदाकार एवं अवार्डर दोनों ही राज्य में स्थित है। वर्तमान प्रकरण में संकर्म संविदा के निष्पादन हेतु संविदाकार व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से माल (~~लोहे के तार~~, पाईप ~~व प्लेट्स~~) की खरीद हेतु स्वयं द्वारा 'सी' फॉर्म जारी किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से 'सी' फॉर्म पर माल आयात कर संकर्म संविदा कार्य में प्रयुक्त किया गया है। अतः मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 के प्रकरण के तथ्य तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्य समान न होकर भिन्न होने के कारण माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.2.2001 एवं इसमें प्रतिपादित सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होता है। इसी आधार पर विद्वान अभिभाषक द्वारा इस सम्बन्ध में उदृत किये गये राजस्थान कर बोर्ड के विभिन्न निर्णय भी वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संकर्म संविदा के कार्यों में उपयोग हेतु माल के राज्य के बाहर से खरीदने हेतु 'सी' फॉर्म काम में लिया गया है। 'सी' फॉर्म पर अन्तर्राज्जीय खरीद से सम्बन्धित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रावधान निम्न प्रकार हैं :–

लगातार.....4

8. Rates of tax on sales in the course of inter-State trade or commerce.-

(1) Every dealer, who in the course of inter-State trade or commerce, sells to a registered dealer goods of the description referred to in sub-section (3), shall be liable to pay tax under this Act, which shall be three per cent, of his turnover or at the rate applicable to the sale or purchase of such goods in side the appropriate State under the sales tax law of that State, whichever is lower;

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, reduce the rate of tax under this sub-section.

(2) The tax payable by any dealer on his turnover insofar as the turnover or any part thereof relates to the sale of goods in the course of inter-State trade or commerce not falling within sub-section (1), shall be at the rate applicable to the sale or purchase of such goods inside the appropriate State under the sales tax law of that State.

Explanation - For the purposes of this sub-section, a dealer shall be deemed to be a dealer liable to pay tax under the sales tax law of the appropriate State, notwithstanding that he, in fact, may not be so liable under that law.

(3) [The goods referred to in sub-section (1)]-

(b) are goods of the class or classes specified in the certificate of registration of the registered dealer purchasing the goods as being intended for re-sale by him or subject to any rules made by the Central Government in this behalf, for use by him in the manufacture or processing of goods for sale or [in the telecommunications net work or] in mining or in the generation or distribution of electricity or any other form of power;

(4) The provisions of sub-section (1) shall not apply to any sale in the course of inter-State trade or commerce unless the dealer selling the goods furnishes to the prescribed authority in the prescribed manner a declaration duly filled and signed by the registered dealer to whom the goods are sold containing the prescribed particulars in a prescribed form obtained from the prescribed authority;

Provided that the declaration is furnished within the prescribed time or within such further time as that authority may, for sufficient cause, permit.

7. उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य में पंजीकृत प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 'सी' फॉर्म काम में लेते हुए राज्य के बाहर से पुनः विक्रय के विचार से ही माल का क्रय किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 'सी' फॉर्म पर राज्य के बाहर से खरीद किये गये उक्त माल का संकर्म संविदा कार्यों में उपयोग लिये जाने के कारण इस माल में सम्पत्ति का अन्तरण संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तवर्लित सम्पत्ति के रूप में हो गया है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी के उक्त माल में सम्पत्ति का अन्तरण संकर्म संविदा निष्पादन में अन्तवर्लित सम्पत्ति के रूप में होने पर यह बिक्री की श्रेणी में आने व इस पर कर देयता बाबत अधिनियम की धारा 2(38)(ii) का अवलोकन करना समीचीन होगा, (केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(जी) के संशोधन दिनांक 11.5. 2002 के सन्दर्भ में) जो निम्न प्रकार है :–

लगातार.....5

38. **"sale"** with all its grammatical variations and cognate expressions means every transfer of property in goods by one person to another for cash, deferred payment or other valuable consideration and includes -

(i) .....

(ii) a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract;

अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 'सी' फॉर्म पर राज्य के बाहर से खरीद कर आयात किये गये माल का संकर्म संविदा निष्पादन में उपयोग में लिया जाना अधिनियम की धारा 2(38)(ii) के तहत विक्रय की श्रेणी में आता है और इसके पण्यावर्त पर 4 प्रतिशत की दर से कर देयता बनती है। जिसकी पुष्टि समान आधारों के प्रकरण वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम कंस्ट्रक्शन कम्पनी अपील संख्या 2259/2007 निर्णय दिनांक 17.02.2009 में माननीय राजस्थान टैक्स बोर्ड ने की है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी का प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा संकर्म संविदा कार्यों में उपयोग हेतु 'सी' फॉर्म पर राज्य के बाहर से क्रय किये गये माल कीमत रूपये 2,40,600/– पर 4 प्रतिशत की दर से करारोपण किये जाने का आदेश दिनांक 02.03.2002 पूर्णतया विधिसम्मत है। अतः निर्धारण अधिकारी का उक्त आदेश अपास्त किये जाने में उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर उदयपुर द्वारा विधिक भूल की गई है। अतः उपायुक्त (अपील्स) का आदेश दिनांक 11.6.2008 न्यायसंगत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

8. परिणामतः राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.6.2008 अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

27.6.2016

(मदन लाल)
सदस्य